न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:– पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या:– 47/2024

प्रार्थी:– 1. श्रीमति अंजु पुत्री श्री होतुराम खींची पत्नी श्री रूपेश सोलंकी, जाति खटीक निवासी गली नं. 7 कलाल कॉलोनी, नागौरी गेट के अंदर, हाल निवास भैरू चौक सूरसागर जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:– तहसीलदार जोधपुर कार्यालय कचहरी परिसर जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::–

दिनांक:–21.08.2024

उपस्थिति:– 1. श्री बाबूलाल गौरा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार जोधपुर अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव, भू अभिलेख निरीक्षक माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जो उपरोक्त खसरा संख्या 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थीया के खरीदसुदा खातेदारी मालिकाना हक अधिकार की भूमि है जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त उपयोग उपभोग चली आ रही है. जो वर्तमान जमाबन्दी व नामान्तरकरण संख्या 2305 से स्पष्ट है। उपरोक्त ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 131/3 रकबा 15 बीध भूमि पर प्रार्थिया वक्त खरीद से उक्त भूमि पर अलग काबिज काश्त चली आ रही है तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी प्राथीया की खातेदारी दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय तत्कालिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश सहवन से उक्त खसरा की गलत तरमीम कर दी मौके पर जिस जगह पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है सटीक उसी स्थान पर तरमीम करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से गलत तरमीम कर दी गई, जबकि वास्तविकता में प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा संख्या 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि के उतर दिशा में खसरा संख्या 124 की भूमि आई हुई है व दिशा दक्षिण में खसरा संख्या 132 की भूमि व दिशा पूर्व में खसरा संख्या 131 मुल की भूमि एवं दिशा पश्चिम मे रास्ता आया हुआ है, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा से साबित है। प्रार्थीया को अपने उक्त खसरे की गलत तरमीम से आये दिन दिक्कतो का सामना करना पड रहा है गलत तरमीम से प्रार्थीया अपनी भूमि का सही सही तरीके से उपयोग उपभोग नही कर पा रही है जिस बाबत प्रार्थीया ने राजस्व कर्मचारियो को उक्त तरमीम दुरूस्ती का निवेदन किया लेकिन माननीय न्यायालय आदेश बिना तरमीम दुरूस्त नही की जा रही है। जिससे उपरोक्त कारणों से उक्त प्रार्थना पत्र मजबूत आधारो पर अंतर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की भूमि की मौके पर काबिज काश्त अनुसार सही तरमीम दुरस्ती के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव, भू अभिलेख निरीक्षक माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि के नक्शा किश्तवार मे तरमीम दुरूस्ती कराने के आदेश प्रदान करावें, अन्य उचित आदेश बहक प्रार्थीया प्रदान कराने की कृपा करावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल माणकलाव के राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा सं. 131/3 रकबा 15—00 बीघा की वर्तमान खातेदार अंजु पुत्री होतुराम खींची पत्नी रूपेश सोलंकी जाति खटीक सा. गली नंबर 7 नागौरी गेट जोधपुर है। पूर्व में उक्त खसरे की तरमीम दूसरी जगह थी, जबकि प्रार्थीया का कब्जा काश्त दूसरी जगह था। खसरा सं. 131/3 को नामा. सं. 692/1 द्वारा खरीद किया गया, उक्त नामा. की पुश्त पर नजरी नक्शा नहीं है। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा यह स्वीकार तथ्य है कि पूर्व में किसी भी नामा. की पुश्त पर नजरी नक्शा नहीं होने व मौके पर प्रार्थीया का कब्जा उक्त स्थान पर होने से तरमीम शुद्धि की जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम शुद्धि का आदेश किए जाने का निवेदनकिया ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पत्रावली पर संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा सं. 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि का प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के आधार पर वाके ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र माणकलाव जोधपुर के खसरा सं. 131/3 रकबा 15 बीघा भूमि के नक्शा किश्तवार में तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 21/8/24. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/24

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर